

न्यायालय अपर समाहर्ता, गढ़वा
भूमि विक्री अनुमति वाद सं०-124/2021
सी० एन०टी० एक्ट की धारा 46(1)(A) के अंतर्गत
बुधनी देवी—विक्रेता
प्रति
श्रीमती मनोरा देवी—क्रेता

-आदेश-

अभिलेख उपस्थापित। आवेदिका/विक्रेता बुधनी देवी, पति-स्व० साधु सिंह, ग्राम-हारादाग कर्ली, पोस्ट-भागोडीह, थाना-रमना, जिला-गढ़वा ने नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि को क्रेता श्रीमती मनोरा देवी, पति-श्री मुन्नी सिंह, ग्राम-हारादाग खूर्द, पोस्ट-भागोडीह, थाना-रमना, जिला-गढ़वा को छोटानागपुर वास्तुकारी अधिनियम की धारा 46(1)(A) के अंतर्गत भूमि विक्री करने हेतु आवेदन पत्र दिया है। उक्त आवेदन पत्र पर अंचल अधिकारी, रमना से आवेदन पत्र में वर्णित भूमि पर जाँच कर विहित प्रपत्र में स्पष्ट अनुशंसा के साथ एवं आम इस्तेहार का विधिवत तामिला कराकर प्रतिवेदन की मांग की गई। उप समाहर्ता भूमि सुधार, श्री बंशीधर नगर के पत्रांक 967/दिनांक 10.09.2022 के द्वारा अंचल अधिकारी, रमना का जाँच प्रतिवेदन एवं आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ तथा विक्रेता के द्वारा प्रतिवेदित भूमि के सम्बन्ध में आवश्यक कागजात प्रस्तुत किया गया।

प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तावित भूमि विक्रेता के स्वसुर फिरगी सिंह के नाम से मांग चलता है। विक्रेता जाति के खरवार (अनुसूचित जन जाति) एवं क्रेता जाति के खरवार (अनुसूचित जन जाति) के सदस्य हैं। विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना रमना एवं जिला गढ़वा के निवासी हैं। विक्रेता प्रस्तावित भूमि को विक्री करने के पश्चात् भूमिहीन नहीं होते हैं। प्रस्तावित भूमि भूदान, भू-हदबंदी, वन सीमा एवं सार्वजनिक उपयोग इत्यादि से मुक्त है प्रस्तावित भूमि आवेदिका/विक्रेता के दखल-कब्जे में है।


अतः उप समाहर्ता भूमि सुधार, श्री बंशीधर नगर, एवं अंचल अधिकारी, रमना के जाँच प्रतिवेदन/अनुशंसा के आलोक में आवेदिका/विक्रेता बुधनी देवी, पति-स्व० साधु सिंह, ग्राम-हारादाग कर्ली, पोस्ट-भागोडीह, थाना-रमना, जिला-गढ़वा ने क्रेता श्रीमती मनोरा देवी, पति-श्री मुन्नी सिंह, ग्राम-हारादाग खूर्द, पोस्ट-भागोडीह, थाना-रमना, जिला-गढ़वा को नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि को विक्री करने हेतु छोटानागपुर का तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(A) के अंतर्गत विक्री द्वारा हस्तान्तरण करने की स्वीकृति दी जाती है।

-भूमि का विवरण-

ग्राम	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा (एकड़ में)	चौहद्दी
हारादाग कर्ली	191	पुराना-34 नया-123	पुराना-103 नया-98	1.70	उ०-केशवर सिंह, द०-धुरा प्रजापति, पू०-नन्दु सिंह को औतार सिंह, प०-लक्ष्म प्रजापति को वासुदेव प्रजापति
कुल रकबा-				1.70	

आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु अवर निबंधक, श्री बंशीधर नगर को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित।


अपर समाहर्ता,
गढ़वा।


अपर समाहर्ता,
गढ़वा।